

विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के द्वितीय सोमवार के लिये निर्धारित श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह उर्फ पूनम सिंह, मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-20 का उत्तर।

प्रश्न

उत्तरालेख्य

- क- क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-वाराणसी में प्राचीन मारकण्डेय महादेव मन्दिर कैथी से गंगागोमती संगम घाट तक सी०सी० मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है जिस कारण उक्त मार्ग में आने वाले भूमियों का अधिग्रहण किसानों की सहमति से किया गया है?
- ख- यदि हाँ, तो कौन-कौन से किसानों की भूमि अधिग्रहण की गयी है और उनको कब और कितना-कितना मुआवजें का भुगतान कराया गया है?
- ग- (ग) यदि नहीं, तो कब तक उक्त सभी किसानों को मुआवजें का भुगतान करायेंगे?

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण हेतु प्रभावित काश्तकारों के भूमि का क्रय शासनादेश संख्या-2/2015/215/एक-13-2015-20 (48) / 2011 दिनांक-19.03.2015 में निहित प्राविधानों के अनुरूप आपसी समझौते से क्रय करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सहायक अभिलेख अधिकारी, बलिया द्वारा आंशिक अंश निर्धारण प्राप्त हुआ है। अंश निर्धारण की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। स्वीकृत कार्य के सापेक्ष भूमि अधिग्रहण हेतु रु० 6.05 करोड़ स्वीकृत है।

मुआवजे की कार्यवाही पूर्ण करने की लक्षित तिथि मार्च 2025 निर्धारित है।


21/4/25
(केशव प्रसाद मौर्य)
नेता सदन, विधान परिषद
एवं उप मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश

(योगी आदित्यनाथ)
मुख्यमंत्री।